न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपीलः 13/2018

दायर दिनांकः 29.10.2018

निर्णय दिनांक 03.02.2020

—:अनवानः—

श्री विजयराम पिता डालु गुर्जर निवासी पाण्डोलाई तहसील व जिला राजसमन्द —————**अपीलांट**

—:बनामः—

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, कुँवारिया —————**रेस्पोडेण्ट**

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उप तहसीलदार, कुँवारिया के मुकदमा नम्बर 877/2017 सरकार बनाम विजयराम निर्णय दिनांक 23.10.2017 से व्यथित होकर

उपस्थित :—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री कैलाश चन्द्र बोल्या, राज0अधि0, रेस्पोडेन्ट

—::निर्णय::—

अपीलार्थी ने उप तहसीलदार, कुँवारिया द्वारा दिनांक 23.10.2017 को पारित आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.10.2018 को अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 मय धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है।

पटवार हल्का मोही के द्वारा उप तहसीलदार, कुँवारिया के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम मोही तहसील राजसमन्द के वर्तमान आराजी नम्बर 52 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा में से 10 बिस्वा पर अपीलान्ट का अतिक्रमण बताते हुए उप तहसीलदार, कुँवारिया के यहाँ रिपोर्ट पेश की थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस प्रेषित किया और उसमें अपीलांट के विरूद्ध बेदखली के आदेश उसकी अनुपस्थिति में पारित किया गया, अतः इसके विरूद्ध धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कराना फरमावें। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है जो कि कानूनन नियमन योग्य है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अवैध आदेश खारीज किये जाने योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोण्डेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी। सर्व प्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार किया जाता है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बहस में बताया कि अपीलार्थी का उक्त भूमि पर 30 वर्षो से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा फसल भी प्राप्त की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का उचित अवसर नहीं दिया है। और सीधे ही प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध हैं। इसलिए अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कुँवारिया द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपीलार्थी द्वारा बिलानाम भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है। जो नियमन योग्य नहीं है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम मोही तहसील राजसमन्द के आराजी नं0 52 किस्म बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश न कर बिलानाम भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया है। वादग्रस्त भूमि की किस्म बिलानाम है। बिलानाम भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित बेदखली का आदेश विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया बेदखली आदेश न्यायोचित है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि के नियमन योग्य होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य सबुत पेश नहीं किये है और न ही ऐसा कोई प्रावधान बताया है। जिससे वाद ग्रस्त भूमि नियमन योग्य हो। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

जिला ... राजसमन्द (राज.)

—::आदेश::—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कुवॉरिया के द्वारा दिनांक 23.10.2017 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। तहसीलदार, कुवॉरिया को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि से 01 माह में अपीलांट का कब्जा हटाकर पालना रिपोर्ट भिजवायी जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक **03.02.2020** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द